चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 07.03.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 07.03.2025 को पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री राजेश एस0 की अध्यक्षता में जिलाधिकारी चित्रकूट श्री पुलकित गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में तहसील सभागार कर्वी में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। महोदय ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण रजिस्टर का परीक्षण करते हुए निस्तारण आख्या को देखकर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, उन समस्याओं के निस्तारण से समस्या ग्रस्त व्यक्ति को भी अवगत कराया जाए। साथ ही साथ समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर त्वरित निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें। भूमि सम्बन्धित

मामलों पर उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी व बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी से कहा कि राजस्व, चकबंदी एवं पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर भूमि संबंधी मामलों को प्राथमिकता पर कब्जा मुक्त कराया जाये।
इस दौरान उपजिलाधिकारी कर्वी सुश्री पूजा साहू,उपजिलाधिकारी श्री सौरभ यादव,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल,पीआरओ श्री पंकज त्रिपाठी व राजस्व/पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह, पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 07.03.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 288/15 धारा 323,504,304 भा0द0वि0 के आरोपी अभियुक्त रामसूरत पुत्र रामपाल निवासी उसरा पुरवा मजरा भंभौर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 08 वर्ष 06 माह के सश्रम कारावास व 23 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
संक्षिप्त विवरण-
उल्लेखनीय है कि दिनांक 29.11.2015 को वादी बुद्धविलास रैदास निवासी उसरा पुरवा मजरा भंभौर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट पर सूचना दी कि अभियुक्त रामसूरत उपरोक्त द्वारा उनकी पत्नी रन्नौ देवी को फावड़ा मारकर गंभीर रुप से घायल करना जिससे उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना। सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 288/15 धारा 323,504,304 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। आरोपी को गिरफ्तार कर दिनाँक 21.12.2015 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 मुकेश कुमार सिंह व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त पवन पटेल पुत्र रामसुमेर पटेल निवासी बोडीपोखरी थाना रैपुरा को 200 ग्राम अवैध सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-</u>

1. उ0नि0 श्री मुकेश कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री अखिलेश सिंह यादव
3. उ0नि0 करन सिंह
4. आरक्षी चालक पवन यादव

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री प्रभुनाथ यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 07.03.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 177/21 धारा 323 भादवि के आरोपी अभियुक्त अंगद निषाद पुत्र आनंदी निषाद निवासी बालापुर मजरा अहीरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 1000 रु अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(6). आज दिनांक 07.03.2026 को चित्रकूट जनपद में पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राजकमल की उपस्थिति में नव सृजित पुलिस चौकी कौहरी थाना पहाड़ी का विधिवत उद्घाटन किया गया।
कार्यक्रम का शुभारम्भ फीता काटकर एवं परिसर का निरीक्षण कर किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने नवनिर्मित भवन,कार्यालय कक्ष,अभिलेख कक्ष,आगन्तुक कक्ष एवं अन्य व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये। उन्होंने कहा कि नव सृजित पुलिस कौहरी के संचालन से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा आमजन को त्वरित एवं सुलभ पुलिस सेवा उपलब्ध कराई जा सकेगी।
उद्घाटन कार्यक्रम में प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव,प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे सिंह,प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह,प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना श्रीमती रीता सिंह,थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह,थानाध्यक्ष सरधुवा श्री रामसिंह, नवीन चौकी प्रभारी उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस
पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा 32 क्षमता के हास्टल/बैरक भवन एवं आधुनिक विवेचना भवन थाना पहाड़ी का किया गया शुभारम्भ
आज दिनांक 07.03.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल की उपस्थिति में थाना पहाड़ी परिसर में नवनिर्मित 32 क्षमता के पुलिस हास्टल/बैरक भवन एवं आधुनिक विवेचना भवन का विधिवत पूजा अर्चना कर फीता काटकर शुभारम्भ किया गया। यह बैरक 32 पुलिस कर्मियों की क्षमता वाला है। जिसमें आधुनिक सुविधाएं स्वच्छ पेयजल,शौचालय,बिजली,रसोईघर आदि उपलब्ध है। पुलिस कर्मियों के कल्याण एवं बेहतर कार्य प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह बैरक पुलिस कर्मियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। आवास सुविधा से पुलिसकर्मी अधिक उत्साह एवं समर्पण से कर्तव्य निभा सकेंगे जिससे समाज में कानून व्यवस्था और मजबूत होगी।

उद्घाटन कार्यक्रम में प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव,प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे सिंह,प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह,प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना श्रीमती रीता सिंह,थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह,थानाध्यक्ष सरधुवा श्री रामसिंह, नवीन चौकी प्रभारी उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।